

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-137/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मुकेश कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण के द्वारा प्रथम संतान के जन्म दिनांक-17.11.2024 के पश्चात उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-08.02.2025 से 22.02.2025 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-137/2026- 1826 [2] पटना, दिनांक-31/7/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण/कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/डा० मुकेश कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

६